Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2023 GISRRJ | Volume 6 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

# धर्मनिरपेक्षता के पाश्चात्य एवं भारतीय सन्दर्भ

डॉ पांचू राम मीण
(प्रधानाचार्य) कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय,जयपुर, महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय, ढंढ, आमेर,जयपुर।

**Article Info**
**Publication Issue :**
Volume 6, Issue 1
January-February-2023
**Page Number :** 06-09

**Article History**
Accepted : 01 Jan 2023
Published : 14 Jan 2023

**ABSTRACT**

**शोधसारांश–** धर्मनिरपेक्षता का दूसरा पक्ष दृष्टिकोण या स्वभाव के सन्दर्भ में हैं। इसमें बौद्धिक एवं वैज्ञानिक उपायो के द्वारा मानव कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने की भावना निहित है। यहाँ जीवन एवं जगत की समस्याओं के समाधान के लिए स्वतंत्र बौद्धिक चिंतन को महत्व दिया गया है। इसी दृष्टि से भारतीय संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं मानवतावाद को विकसित करना नागरिकों का कर्त्तव्य माना गया है।

**मुख्य शब्द** – धर्मनिरपेक्षता, पाश्चात्य, भारतीय, बौद्धिक, वैज्ञानिक, मानव।

धर्मनिरपेक्षता एक विशेष प्रकार का मानववादी जीवन दर्शन है जिसका लोकतांत्रिक मूल्यों में महत्वपूर्ण स्थान है। यह नैतिक, शैक्षिक, कानूनी, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को धर्म एंव अध्यात्म से पृथक तथा स्वतंत्र मानता है। सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से Secularism का अर्थ है– 'सामाजिक एवं राजनीतिक क्रिया–कलापों का निर्देशन धर्म न करें, वहां धर्मनिवशेष का प्रभाव या हस्तक्षेप न हो।' दूसरे शब्दों में सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों से पंथों का विलगाव हो, भले ही उस राज्य के नागरिक या उस समाज के व्यक्ति किसी विशेष पंथ या विभिन्न पंथों को स्वीकार करते हों। धर्म निरपेक्षता की इस अवधारणा में सामाजिक, राजनैतिक क्रिया–कलापों के संचालन में कानून की सर्वोच्चता स्वीकार की जाती है, न कि धर्म की।

साधारणतः पाश्चात्य सन्दर्भ में Secularism के विचार को धर्मो के प्रति तटस्थता, उपेक्षा, उदासीनता या विरोध के रूप में स्वीकार किया जाता है। जबकि भारतीय सन्दर्भ में Secularism को पंथ विरोध के रूप में न लेकर मुख्यतः सर्वधर्म समभाव के रूप में स्वीकार किया जाता है।

Secularism के वास्तविक अर्थ, सन्दर्भ एवं उद्देश्य को सम्यकरूपेण जानने के लिए उसके उद्भव की पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है। चूँकि भारतीय एवं पाश्चात्य सन्दर्भ में इस अवधारणा की उत्पत्ति के पीछे परिस्थितियाँ अलग–अलग रही हैं। अतः इसके अर्थ, स्वरूप एवं उद्देश्य को लेकर परस्पर भिन्नता पायी जाती है। परन्तु कुछ मूल तत्व दोनों मेंसमान पाये जाते हैं।

**पाश्चात्य सन्दर्भ में उद्भव की पृष्ठभूमि–** Secularism की अवधारणा एक सामाजिक, राजनीति आदर्श के रूप में आयी परन्तु इसकी पृष्ठभूमि 15वीं सदी में ही बननी शुरू है गयी थी जिसे पुनजार्गरण एवं धर्म सुधार आन्दोलनों में देखा जा सकता है। जब विज्ञान, तर्क मानववाद एंव इहलौकिकता का उदय हो रहा था।

**Copyright: ©** the author(s), publisher and licensee Shauryam Research Institute. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

मध्य युग में यूरोप की राजनीतिक सत्ता पर धर्म का प्रभुत्व था। राजनीतिक सत्ता की वैधता धार्मिक समर्थन पर आधारित थी। सत्ता और समाज दोनों पर धर्म का आधिपत्य था। नियम अंधविश्वास,पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादियों से ग्रसित थे। यही कारण था कि मध्ययुग को अंधकार युग कहा जाता है।

परन्तु पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आन्दोलनों के साथ नई वैज्ञानिक विधियों के उभार, खोज एवं विस्तार ने प्रचलित धार्मिक अन्धविश्वासों, धार्मिक मान्यताओं एवं नियमों को निराकृत कर दिया। आस्था, भक्ति एवं श्रद्धा के स्थान पर मानवीय अनुभव एवं तर्क बुद्धि की महत्ता को स्थापित किया जाने लगा। ऐसी स्थिति में धर्म के अवैध प्रभुत्व से सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक जीवन को स्वतंत्र करने हेतु यूरोप में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, राज्य एवं चर्च के मध्य संघर्ष हुआ और इस क्रम में राज्य के क्रिया–कलापों को धर्म से पृथक माना गया तथा धर्म के प्रभुत्व को अस्वीकृत कर दिया गया। धर्म को केवल धर्म के क्षेत्र में सीमित कर दिया गया। इन्हीं सुधारों एवं नवीन विचारों के आलोक में यूरोप में राज्य का जो स्वरूप उभरा उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया। इसके अनुसार Secularism का अर्थ है– 'राज्य सत्ता पर धर्म का प्रभाव न होना तथा राजनैतिक क्षेत्र से धर्म का बहिष्कार। यही कारण है कि यूरोप में धर्मनिरपेक्षता प्रधानतः एक राजनैतिक अवधारणा है।

पुनर्जागरण काल से 18वीं सदी तक लगभग 400 वर्षों में यूरोप में जिस नवीन बौद्धिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, उसी ने सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में धर्मनिरपेक्षता को जन्म दिया। इंग्लैण्ड के निरीश्वरवादी विचारक जार्ज जैकब होलियोक ने धर्मनिरपेक्षता का सिद्धान्त प्रतिपादित किया जिसका शाब्दिक अर्थ है– 'यह वर्तमान युग।' इस सिद्धान्त में ईश्वर एवं अन्य अलौकि सत्ताओं का विरोध किया गया है, परन्तु नैतिकता का इसमें महत्वपूर्ण स्थान है। इस सिद्धान्त की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं–

1. जीवन एवं जगत की समस्याओं के क्रम में धर्म की भूमिका को नकारते हुए उससे उदासीन रहना।
2. अलौकिक एवं अतीन्द्रिय सत्ताओं के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हुए केवल इहलौकिकता में विश्वास करना।
3. विज्ञान के नियमों एवं सिद्धान्तों में विश्वास करते हुए मानव जीवन की समस्याओं को सुलझाने का प्रयस करना।
4. वैचारिक स्वतंत्रता एवं तर्कपूर्ण चिन्तन पर बल देना।
5. मनुष्य के वर्तमान जीवन, तथा मनुष्य की बुद्धि एवं मानवीय क्षमता में विश्वास की प्रधानता को महत्व देना।

Secularism के सम्बन्ध में Encyclopedia of religion & Ethics में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता राजनैतिक एवं दार्शनिक रूप में एक ऐसी अवधारण है जो उद्देश्यपूर्ण रूप से नैतिक परन्तु धार्मिक रूप से निषेधात्मक है।

Encyclopedia of Britanica में Secularism का आशय धार्मिक एवं अध्यात्मिक विषयों से पृथक् उदासीन इहलौकि, विचारों की स्वीकृति है।

धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के दो पक्ष हैं– सकारात्मक एवं नकारात्मक। नकारात्मक पक्ष के भी दो सन्दर्भ हैं। प्रथम धर्म के प्रति उपेक्षा, तटस्थता, उदासीनताया विरोध का भाव तथा द्वितीय राजनैतिक सामाहिजक क्रिया–कलापों एवं गतिविधियों को धर्म के प्रभाव से मुक्त करना। जब कि सकारात्मक रूप में धर्मनिरपेक्षता का आशय वैज्ञानिक सिद्धान्तों एवं बौद्धिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता प्रदान करना जिसमें

इहलौकिता पर जोर होता है। धर्मनिरपेक्षता का मूल संदेश है– 'इसी संसार और मनुष्य के वर्तमान जीवन के विषय में विचार करो, दैवीय शक्तियों एवं परलोक में नहीं।' इस रूप में धर्मनिरपेक्षतावाद मानववाद पर आधारित हो जाती है।

**धर्मनिरपेक्षता बनाम मानववाद–** सही अर्थों में धर्म निरपेक्षता मानववाद का ही एक अंग है। प्रकृतिवादी मानवाद में परम्परागत धर्म अथवा पारलौकिकता का विरोध किया जाता है। इसके विपरीत धर्मनिरपेक्षतावाद में धर्म के प्रति उपेक्षा या तटस्थता की नीति अपनायी जाती है। इसके अनुसार ईश्वरवाद एवं अनीश्वरवाद दोनों को ही उपेक्षित करना चाहिए। क्योंकि वैज्ञानिक विधि से न तो इन्हें स्वीकार किया जा सकता है और न ही अस्वीकार किया जा सकताहै। अर्थात् धर्म सम्बन्धी विचारों के प्रति उपेक्षा या उदासीनता अपनाना ही धर्मनिरपेक्षता का प्रमुख उद्देश्य है।

**धर्मनिरपेक्षिता V/s नैतिकता–** धर्म निरपेक्षता की यह मान्यता है कि नैतिकता धर्म से पूर्णतः स्वतंत्र है। इसके अनुसार धर्म, ईश्वर, आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नर्क इत्यादि पारलौकिक सत्ताओं एवं विचारों में विश्वास किये बिना भी मनुष्य नैतिक दृष्टि से उन्नत जीवन व्यतीत कर सकता है। अतः नैतिकता को धर्म पर आधारित करना अनुचित है। वास्तविक स्थिति यह है कि स्वयंधर्म ही नैतिकता पर आधारित है। क्योंकि बिना नैतिक प्रत्ययों को जानने ईश्वरवादी भी ईश्वर को दयालु, करूणामयी, न्यायी, कृपालु आदि नहीं कह सकते। यहाँ धर्मनिरपेक्षतावादियों का यह कहना है कि नैतिकता मानव के कल्याण का साधन है। अतः मानवीय सन्दर्भ में वे उपयोगिता को ही नैतिकता के एक मात्र तर्क संगत मानदण्ड के रूप में स्वीकार करते हैं। इनके अनुसार मनुष्य अपनी विवके शक्ति एवं तर्कता के आधार पर मानवीय हित को ध्यान में रखते हुए नैतिक मानदण्डों को स्थापित कर सकता है।

**भारतीय सन्दर्भ में धर्मनिरपेक्षत की स्थिति–** भारतीय धर्मनिरपेक्षता मुख्यतः साम्प्रदायिकता विरोधी अवधारणा मानी जाती है। पाश्चात्य के Secularism में धर्म के प्रति तटस्थता या उपेक्षा का भाव है वहीं भारतीय सन्दर्भ में इसका आशय सभी धर्मों के समान संरक्षण से हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जब का Secularism हिन्दी रूपान्तरण धर्म निरपेक्षता द्वारा किया जाता है तो वहाँ धर्म का अर्थ परम्परागत रूप से भारतीय संस्कृति में प्रचलित धर्म ( Dharma) से नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ 'धर्म' का आशय स्वकर्त्तव्य पालन या नैतिक सद्गुणों से है। यही कारण है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के हिन्दी रूपान्तरण में Secularism के लिए 'पंथनिरपेक्षता' शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अभिप्राय है– पंथ, सम्प्रदाय या मजहब से राजनीति का तटस्थ रहना, पृथक रहना।

**उद्भव की पृष्ठभूमि–** भारतीय सन्दर्भ में यूरोप की भांति किसी एक धार्मिक स्म्प्रदाय का महत्व कभी नहीं रहा। बल्कि यहाँ धार्मिक सम्प्रदायों की शुरू से विविधता रही है। सत्य ही यहाँ राजनैतिक व्यवस्था की वैधता धर्म की स्वीकृत पर आधारति नहीं थी। इसी कारण भारतीय पंथ निरपेक्षता का उद्भव एंव विकास पश्चिमी देशों की भांति धार्मिक आसीाओं, मान्यताओं एवं विश्वासों के प्रति किसी प्रकार के संदेह के उत्पन्न होने या उनके सम्बन्ध में नकारात्मक तार्किक प्रश्न उत्पन्न होने के क्रम में नहीं हुआ। भारत में संगठित धार्मिक संस्थाओं की अनुपस्थिति के कारण धर्म एवं राज्यसत्ता में सीधा संघर्ष नहीं था। वस्तुतः भारतीय पंथ–निरपेक्षता एक बहु–धार्मिक समाज में विभिन्न सम्प्रदायों एवं व्यक्तियों द्वारा अपनी धार्मिक गतिविधियों एवं अस्तित्व को एक दूसरे के हस्तक्षेप एवं आक्रमण से सुरक्षित रखने के प्रयासों का फल है।

भारतीय सन्दर्भ में भी धर्मनिरपेक्षता के दो पक्ष हैं– नकारात्मक एवं सकारात्मक। नकारात्मक पक्ष का आशय है कि राजनीति, अर्थव्यवस्था, नैतिक, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों से धर्म को दूर किया जाय, उसके हस्तक्षेप से बचाया जाय। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं हो। दूसरे शब्दों में राज्य धर्म आधारित नहीं हो।

जब कि सकारात्मक पक्ष के दो सन्दर्भ हैं– प्रथम सभी पंथों का समान आदर या सभी पंथों के प्रति समान भाव हो। राज्य सभी पंथों को समान स्वतंत्रता एवं सुरक्षा प्रदान करेगा तथा राज्य अपने–अपने नागरिकों की भावनाओं का ख्याल रखेगा। धर्मनिरपेक्षता का दूसरा पक्ष दृष्टिकोण या स्वभाव के सन्दर्भ में हैं। इसमें बौद्धिक एवं वैज्ञानिक उपायो के द्वारा मानव कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने की भावना निहित है। यहाँ जीवन एवं जगत की समस्याओं के समाधान के लिए स्वतंत्र बौद्धिक चिंतन को महत्व दिया गया है। इसी दृष्टि से भारतीय संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं मानवतावाद को विकसित करना नागरिकों का कर्त्तव्य माना गया है। स्पष्ट है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय धर्म विरोधी या धर्म विहीन दृष्टि नहीं है। अपितु सभी धार्मिक वि वासों एवं मान्यताओं की समान रूपेण स्वतंत्रता है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। यहाँ सभी धर्म के प्रति सहिष्णुता एवं सह–अस्तित्व का भाव प्रकट होता है।

## सन्दर्भ

1.पाठक, राममूर्ति, 2004, सामाजिक, राजनीतिक दर्शन की रूपरेखा, अभिमन्यु प्रकाशन, इलाहाबाद।
2. पाठक, कृष्णकान्त, 2012 समाज एवं राजनीति दर्शन राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
3. रमेन्द्र 2003 समाज और राजनीति दर्शन एवं धर्म दर्शन मोतीलाल बनारसी दास।
4.मिश्र, डा हृदय नारायण 2005 धर्म दर्शन परिचय शेखर प्रकाशन इलाहाबाद।
5. पाण्डेय, डा जयनारायण, भारत का संविधान सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी 2005।
6. सिंह शिवभानु , समाज दर्शन का सर्वेक्षण, शारदा पुस्तक भण्डार, इलाहाबाद,2008।